

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 12541/2023

प्रेम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बाबू लाल जोगी , उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम माताजी का नाला , सरकारी के पास कुआ , राजगढ़ , जिला अलवर , आवेदक स्वर्गीय श्री बाबू की विधवा है लाल जोगी जो डीआरएम कार्यालय, जयपुर में हेल्पर (ग्रुप-डी पोस्ट) के पद पर कार्यरत थे।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, महाप्रबंधक के माध्यम से, उत्तर पश्चिम रेलवे, जगतपुरा रोड, जयपुर (राजस्थान) 302017।
2. मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर-302006।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए :

श्री विनोद गोयल

प्रतिवादी(ओं) के लिए

:

सुश्री मंजीत कौर के साथ

सुश्री इशिता कोठारी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

23/04/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 31.05.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिकाकर्ता (दिवंगत स्वर्गीय श्री बाबू लाल जोगी की पत्नी) द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति को वर्ष 1968 में हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1972 में, वह एक आपराधिक मामले में शामिल थे और इस न्यायालय ने दिनांक 29.03.1978 के आदेश द्वारा मृतक को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था। मृतक की सेवा के दौरान वर्ष 1989 में मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन न दिए जाने से व्यथित है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 18107/2011 को टी.ए. संख्या 291/3/2017 के रूप में

ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे नए सिरे से मूल आवेदन (ओ.ए.) दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने नया ओए दायर किया। प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि मृतक के रेलवे कर्मचारी होने के दावे की पुष्टि नहीं हुई है न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए कि यद्यपि पारिवारिक पेंशन का दावा बीस वर्ष से अधिक समय बाद किया गया था, फिर भी मृतक के रेलवे कर्मचारी होने का तर्क प्रमाणित नहीं हुआ। इसलिए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि न्यायाधिकरण ने देरी और देरी के कारण ओए को खारिज करके गलती की है। तर्क यह है कि आपराधिक पुनरीक्षण में कम सजा के लिए उठाया गया तर्क, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता रेलवे में अपनी नौकरी खो देगा , को स्वीकार नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया है कि रेलवे सेवकों की पारिवारिक पेंशन योजना 1964 (संक्षेप में 'योजना') के अनुसार, मृतक का परिवार कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर पारिवारिक पेंशन का हकदार है। एस.के. मस्तान बी बनाम महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे एवं अन्य :- जेटी 2002 (10) एससी पृष्ठ 50 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1991 में गुरु बक्श सिंह नामक व्यक्ति के

स्थानांतरण से संबंधित आरटीआई सूचना प्रस्तुत करके न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया गया, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक की मृत्यु 15.05.1989 को हो गई थी।

5. यह तर्क कि दावा देरी और कुंडी के कारण खारिज किया गया था, गलत है। न्यायाधिकरण ने माना है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक रेलवे का कर्मचारी था। इस संदर्भ में यह भी दर्ज किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि दावा बीस साल से अधिक समय बाद किया गया था, फिर भी आपराधिक पुनरीक्षण में निर्णय के बाद रेलवे द्वारा मृतक की नौकरी या बहाली को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी पेश नहीं किया गया।

6. आपराधिक पुनरीक्षण में उठाया गया तर्क याचिकाकर्ता के मामले को पुष्ट नहीं करता। सजा की अवधि की प्रार्थना के लिए उठाया गया तर्क स्वीकार कर लिया गया, हालाँकि आपराधिक कार्यवाही में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि मृतक रेलवे कर्मचारी था।

7. एस.के. मस्तान बी (सुप्रा) पर भरोसा करना व्यर्थ है। इसमें दिए गए इस प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं हो सकती कि पारिवारिक पेंशन का दावा एक आवर्ती वाद-कारण है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं था कि मृतक विभाग का कर्मचारी था या नहीं?

8. इस योजना के प्रावधानों के अनुसार , मृतक का परिवार कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पारिवारिक पेंशन का हकदार है। वर्तमान मामले में न तो इस बात का प्रमाण है कि मृतक को 1968 में रेलवे द्वारा नियुक्त किया गया था और न ही इस न्यायालय द्वारा परीक्षा पर मुक्त किए जाने के बाद उसने पुनः कार्यभार ग्रहण किया था।
9. विवादित आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।
10. याचिका खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल),जे

(अवनीश झिंगन),जे

अनु / चंदन /9

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी